प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 16.01.2025

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता।**
- **दिनांक 17.11.2024 को थाना अकबरपुर क्षेत्र के ग्राम स्वरुपपुर निवासी सूरज तिवारी को अभियुक्तों द्वारा 40 हजार रुपये लेने के बहाने बुला कर स्कूटी, पैसे व घड़ी लूट कर थाना क्षेत्र सेनपश्चिम पारा में गोली मारकर हत्या करने वाले 02 नफर फरार अभियुक्तों को थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त एम्बुलेन्स कार के साथ किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 17.11.2024 को थाना अकबरपुर क्षेत्र के ग्राम स्वरुपपुर निवासी सूरज तिवारी को अभियुक्तों द्वारा 40 हजार रुपये लेने के बहाने बुला कर सूरज तिवारी की स्कूटी, पैसे व घड़ी लूट कर थाना क्षेत्र सेनपश्चिम पारा में सूरज तिवारी की गोली मारकर हत्या करने के संबंध में थाना अकबरपुर पर मु0अ0सं0 556/2024 धारा 103/238/309(6)/3(5)/61(2) पंजीकृत किया गया था जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 07 अभियुक्तों में से 03 अभियुक्तों को दिनांक 27.11.2024 को गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा गया था। शेष वांछित/फरार 04 अभियुक्तों में से 02 अभियुक्तों के संबंध में दिनांक 16.01.2025 को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 17/11/2024 को ग्राम स्वरुपपुर निवासी सूरज तिवारी की जिस एम्बुलेन्स गाड़ी UP71T0533 से ले जाकर जनपद कानपुर नगर के थाना सेन पश्चिम पारा क्षेत्र में गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी वह गाड़ी बारा गांव की तरफ से भोगनीपुर को जाने वाली रोड पर जा रही है जिसमें दो व्यक्ति बैठे हैं एक गाड़ी चला रहा है तथा दूसरा उसके बगल वाली सीट पर बैठा है जो दाढी रखा है। मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिरपुर ओवर ब्रिज के पास वाहनों की चैकिंग करते हुए एम्बुलेन्स ईको न0 UP71T0533 को रोककर चारों तरफ से घेर लिया तथा उक्त गाडी में बैठे दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूँछने पर एक ने अपना नाम देवेन्द्र पुत्र राघवराम उर्फ राजू निवासी नदीघाट थाना कोतवाली हमीरपुर जनपद हमीरपुर उम्र करीब 24 वर्ष व दूसरे ने अपना नाम अनुज सिंह उर्फ बाबा पुत्र भुल्ली सिंह उर्फ बग्गन सिंह निवासी टिकरौली सिड़राडांडा थाना कोतवाली हमीरपुर जनपद हमीरपुर उम्र करीब 22 वर्ष बताया। अभियुक्तों को गिरफ्तारी का कारण बताते हुए पुलिस हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की गयी। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अकबरपुर पर मु0अ0सं0 556/2024 धारा 103/238/309(6)/3(5)/61(2) बीएनएस 2023 पंजीकृत हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1.देवेन्द्र पुत्र राघवराम उर्फ राजू निवासी नदीघाट थाना कोतवाली हमीरपुर जनपद हमीरपुर उम्र करीब 24 वर्ष

2.अनुज सिंह उर्फ बाबा पुत्र भुल्ली सिंह उर्फ बग्गन सिंह निवासी टिकरौली सिड़राडांडा थाना कोतवाली हमीरपुर जनपद हमीरपुर उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

एम्बुलेन्स ईको न0 UP71T0533

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम का विवरण

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार सिंह थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

2.हे0का0 09 प्रवीण कुमार थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

3.हे0का0 255 प्रभास कुमार थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

4. हे0का0 07 कमलेश यादव थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

5.हे0का0 330 सुशील कुमार थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

6.का0 721 सर्वेन्द्र थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।